**प्रेस नोट**
**दिनाँक 19.09.2025**
**जनपद – गोण्डा**

- **थाना मनकापुर पुलिस की जाँच में झूठी निकली चोरी की सूचना**

- **कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित विभाग को दें सूचना।**

- **झूठी एवं फर्जी सूचना देने वाले व उनका सहयोग करने वालों पर होगी वैधानिक कार्यवाही**

**झूठी सूचना का विवरण-**

दिनांक 18.09.2025 को थाना मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बन्दरहा निवासी श्री रामलोचन पुत्र स्व. कोदई द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि जब वे मजदूरी करने बाजार गए थे, तभी दो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से उनके घर पहुंचे, और घर के भीतर उनकी पुत्री सावित्री को मारपीट करते हुए घर से सोने चाँदी के जेवरात एवं 20,000/- रुपये नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना पर थाना प्रभारी मनकापुर द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच की गई तो घटना पूर्णतः संदिग्ध पाई गई। पुलिस ने टेक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर सभी से विस्तृत पूछताछ की जिसमें आवेदक की पुत्री सावित्री ने स्वीकार किया कि चोरी की कोई घटना घटित नहीं हुई है, बल्कि उसने अपनी भाभी वंदना (जो अपने मायके गई हुई थीं) के जेवरात अपने घर की सिलाई मशीन में छिपा दिए थे। सावित्री ने बताया कि हाल ही में चोरी की अफवाहों के चलने के कारण उसने अपने पिता से प्रार्थना पत्र दिलवाकर फर्जी चोरी की घटना दर्ज कराई थी। पुलिस की पूछताछ एवं जांच में पूरी सच्चाई सामने आने पर महिला द्वारा छिपाए गए जेवरात बरामद कर नियमानुसार कब्जे में लिए गए हैं। जिसके उपरांत सावित्री द्वारा जेवर हड़पने की नियत से झूठी शिकायत करने की बात स्वीकार करते हुए माफी मांगने लगी। प्रकरण में थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

झूठी सूचना देना न केवल सामाजिक व्यवस्था को बाधित करता है, बल्कि इससे सार्वजनिक संसाधनों का अनावश्यक दुरुपयोग होता है एवं जनमानस में भय या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः सभी नागरिकों से आग्रह है कि कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित कार्यालय को सूचित करें। झूठी, भ्रामक अथवा निराधार शिकायत/सूचना देने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सजा छह माह से दो वर्ष तक का कारावास एवं पांच हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनो हो सकते हैं।

**पुलिस विभाग जनसामान्य को आश्वस्त करता है कि शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृतसंकल्पित है। किसी भी असत्य सूचना को कतई प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।**

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**प्रेस नोट**
**दिनाँक 19.09.2025**
**जनपद – गोण्डा**

- **थाना धानेपुर पुलिस की जाँच में झूठी निकली चोरी की सूचना**

- **कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित विभाग को दें सूचना।**

- **झूठी एवं फर्जी सूचना देने वाले व उनका सहयोग करने वालों पर होगी वैधानिक कार्यवाही**

**झूठी सूचना का विवरण-**

आज दिनांक 18.09.2025 को आवेदक श्री मालिक राम वर्मा पुत्र वंशीलाल वर्मा नि0 गंगापुर मौजा त्रिलोकपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा द्वारा 11.00 बजे यूपी 112 पुलिस को घर में मारपीट की सूचना दी गई, पुलिस के पहुचने पर आवेदक की पत्नी किशना ने बताया कि चोर उसके पति को मारपीट कर बक्से से सामान चुराकर भाग गया। इस सूचना पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुँचकर स्थलीय निरीक्षण किया गया तो घटना पूर्णतः संदिग्ध प्रतीत हुई, पुलिस द्वारा घटना की विस्तृत जांच की गयी तो प्रकाश में आया कि आवेदक के घर के सामने एक व्यक्ति उबैश पुत्र मुक्तार अहमद नि0 आगापुरवा मौजा त्रिलोकपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा मोटरसाइकिल से अपनी मां को लेकर बाजार जा रहा था, तथा आवेदक के घर से एक पौधा उखाड़ कर अपनी माँ को दे दिया, उसकी माँ वहाँ से पैदल चली गयी। उबैश थोड़ी दूर अपनी मोटरसाइकिल से गया तब तक आवेदक आ गया और पौधा उखाड़ने की बात को लेकर दोनों में कहासुनी और हाथापाई होने लगी। इसी बीच आवेदक बेहोशी का बहाना बनाकर एम्बुलेंस से सीएचसी मुजेहना आया। और आवेदक की पत्नी द्वारा भी थाना धानेपुर व यूपी - 112 पुलिस को घर में रखे बक्से को दिखाते हुए सामान चोरी करने व आवेदक को डण्डे से मार कर घायल करने की जनकारी दी गई। घटना की जांच में दोनो पक्षों के मध्य पौधा उखाड़ने को लेकर कहासुनी व हाथा-पाई हुई थी, आवेदक व उसकी पत्नी द्वारा चोरी की गलत सूचना डायल 112 व थाने की पुलिस को दी गयी थी। जाँच से उक्त चोरी की घटना असत्य एवं निराधार पायी गयी है। शिकायतकर्ता व विपक्षी के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

झूठी सूचना देना न केवल सामाजिक व्यवस्था को बाधित करता है, बल्कि इससे सार्वजनिक संसाधनों का अनावश्यक दुरुपयोग होता है एवं जनमानस में भय या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः सभी नागरिकों से आग्रह है कि कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित कार्यालय को सूचित करें। झूठी, भ्रामक अथवा निराधार शिकायत/सूचना देने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सजा छह माह से दो वर्ष तक का कारावास एवं पांच हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनो हो सकते हैं।

**पुलिस विभाग जनसामान्य को आश्वस्त करता है कि शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृतसंकल्पित है। किसी भी असत्य सूचना को कतई प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।**

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**प्रेस नोट**
**दिनाँक 19.09.2025**
**जनपद – गोण्डा**

- **थाना को0 कर्नलगंज पुलिस की जाँच में झूठी निकली चोरी की सूचना**

- **कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित विभाग को दें सूचना।**

- **झूठी एवं फर्जी सूचना देने वाले व उनका सहयोग करने वालों पर होगी वैधानिक कार्यवाही**

**झूठी सूचना का विवरण-**

दिनांक 18.09.2025 को श्रीमती जानकी पत्नी श्रीराम निवासी ग्राम बबुरास पाण्डेपुरवा थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा द्वारा सूचना दी गयी कि उनके घर में चोर ने घुसकर चोरी की तथा उन पर चाकू से हमला किया है। सूचना पर पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर जाँच की गयी। जाँच के दौरान उक्त महिला से विस्तृत पूछताछ करने पर स्पष्ट हुआ कि उनके द्वारा बताई गयी घटना असंगत एवं विरोधाभासी है। आस-पास के ग्रामीणों एवं अन्य स्रोतों से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि महिला पूर्व से ही नशीली गोलियाँ लेने की आदी है तथा कई बार इस प्रकार की झूठी सूचना पूर्व में भी दे चुकी है। मौके से एक ब्लेड बरामद किया गया जिस पर खून लगा हुआ था, जाँच से यह प्रकाश में आया कि महिला जानकी द्वारा स्वयं ही ब्लेड से अपने आप को घायल किया गया है। किसी भी अज्ञात व्यक्ति अथवा चोरों द्वारा हमला अथवा चोरी की घटना घटित होना असत्य पाया गया है। इस प्रकार तथाकथित चोरी एवं हमले की घटना पूरी तरह से निराधार एवं असत्य है। नागरिकों से अपील है कि इस प्रकार की झूठी/भ्रामक सूचना न दें, अन्यथा विधिक कार्यवाही की जायेगी।

झूठी सूचना देना न केवल सामाजिक व्यवस्था को बाधित करता है, बल्कि इससे सार्वजनिक संसाधनों का अनावश्यक दुरुपयोग होता है एवं जनमानस में भय या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः सभी नागरिकों से आग्रह है कि कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित कार्यालय को सूचित करें। झूठी, भ्रामक अथवा निराधार शिकायत/सूचना देने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सजा छह माह से दो वर्ष तक का कारावास एवं पांच हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनो हो सकते हैं।

**पुलिस विभाग जनसामान्य को आश्वस्त करता है कि शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृतसंकल्पित है। किसी भी असत्य सूचना को कतई प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।**

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**प्रेस नोट**
**दिनांक 19.09.2025, थाना तरबगंज**
**जनपद गोण्डा।**

## थाना तरबगंज पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के 03 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

**कार्यवाही-**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 128/2025 धारा 85,80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त 1. शिवराम पुत्र भवानी भीख 2.रामभवन पुत्र शिवराम 3. बिट्टन उर्फ स्वाती पत्नी शिवराम निवासीगण बधईपुरवा जमालखानी वार्ड 6, नगर पंचायत तरबगंज थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को उनके घर बधईपुरवा से गिरफ्तार कर लिया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 12.05.2025 को वादिनी सरोज पत्नी चिथरू नि०ग्रा० किंधौरा (बघमरवा) थाना तरबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना तरबगंज में लिखित तहरीर दी कि उन्होने करीब एक वर्ष पूर्व अपनी लड़की कोमल की शादी ग्राम बधईपुरवा जमालखानी वार्ड नं0 6 नगर निवासी शिवराम के साथ की थी, शादी के बाद से ही लड़की को उसके पति व ससुरालीजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए मार कर फांसी पर लटका दिया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 128/2025, धारा 85,80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी तरबगंज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए अभियुक्तों 1. शिवराम पुत्र भवानी भीख 2.रामभवन पुत्र शिवराम 3. बिट्टन उर्फ स्वाती पत्नी शिवराम निवासीगण बधईपुरवा जमालखानी वार्ड 6, नगर पंचायत तरबगंज थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को आज दिनांक 19.09.2025 को उनके घर बधईपुरवा से गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

01. शिवराम गौतम पुत्र भवानीभीख उम्र करीब 55 वर्ष
02. रामभवन गौतम पुत्र शिवराम गौतम उम्र करीब 24 वर्ष
03. बिट्टन उर्फ स्वाती पत्नी शिवराम गौतम उम्र करीब 48 वर्ष निवासीगण बधईपुरवा मालखानी थाना तरबगंज जनपद गोण्डा

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं० 128/25 धारा 85/80 (2) बी0एन0एस0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. उ0नि0 गौरव सिंह मय हमराह
02. का० ऋतुराज सक्सेना
03. म० आ० प्रियांशी देवी

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**प्रेस नोट**
**दिनांक 19.09.2025**
**जनपद – गोण्डा**

- **थाना उमरी बेगमगंज पुलिस की जाँच में झूठी निकली चोरी व फायरिंग की सूचना**

- **कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित विभाग को दें सूचना।**

- **झूठी एवं फर्जी सूचना देने वाले व उनका सहयोग करने वालों पर होगी वैधानिक कार्यवाही**

**झूठी सूचना का विवरण-**

आज दिनांक 19.09.2025 को आवेदक श्री सुशील तिवारी पुत्र श्री सहदेव तिवारी निवासी ग्राम बाबाकुटी उमरी थाना उमरी बेमगगंज जनपद गोण्डा द्वारा सूचना दी गयी कि आवेदक के घर के पास रात्रि में करीब 11.00 बजे 03 अज्ञात व्यक्ति आये थे जिन्हे आवेदक द्वारा चोर-चोर कहकर शोर मचाते हुए दौड़ाया गया तो एक चोर ने आवेदक के ऊपर फायर कर दिया। सूचना पर थाना उमरी बेगमगंज पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर जाँच की गयी। जाँच के दौरान उक्त व्यक्ति से विस्तृत पूछताछ करने पर स्पष्ट हुआ कि उनके द्वारा बताई गयी घटना असंगत एवं विरोधाभासी है।तथा आवेदक द्वारा खुद अपने बयान मे बताया गया कि उसका घर गांव से बाहर है तथा चोरी के अफवाह से डरकर सूचना दिया था ताकि पुलिस उसके घर के आस पास गश्त करती रहे। जाँच से किसी भी अज्ञात व्यक्ति अथवा चोरों द्वारा हमला नहीं किया गया तथा चोरी की सूचना को असत्य पाया गया है। इस प्रकार तथाकथित चोरी एवं हमले की घटना पूरी तरह से निराधार एवं असत्य है। शिकायतकर्ता द्वारा झूठी सूचना देने के संबंध में माफीनामा दिया गया और कहा गया कि अब भविष्य में वह इस प्रकार की झूठी सूचना कभी नहीं देगा। नागरिकों से अपील है कि इस प्रकार की झूठी/भ्रामक सूचना न दें, अन्यथा विधिक कार्यवाही की जायेगी।

झूठी सूचना देना न केवल सामाजिक व्यवस्था को बाधित करता है, बल्कि इससे सार्वजनिक संसाधनों का अनावश्यक दुरुपयोग होता है एवं जनमानस में भय या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः सभी नागरिकों से आग्रह है कि कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित कार्यालय को सूचित करें। झूठी, भ्रामक अथवा निराधार शिकायत/सूचना देने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सजा छह माह से दो वर्ष तक का कारावास एवं पांच हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनो हो सकते हैं।

**पुलिस विभाग जनसामान्य को आश्वस्त करता है कि शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृतसंकल्पित है। किसी भी असत्य सूचना को कतई प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।**

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**प्रेस नोट**
**दिनांक 19.09.2025**

**गोण्डा पुलिस की नवीन पहल, जनपद में प्राप्त हो रही चोरी की शिकायतों/अफवाहों की रोकथाम हेतु ग्राम सुरक्षा समितियों / मौहल्ला सुरक्षा समितियों का किया जा रहा गठन -**

जनपद में प्राप्त हो रही चोरी की शिकायतों एवं अफवाहों की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी एवं पश्चिमी के पर्यवेक्षण तथा समस्त क्षेत्र अधिकारियों के नेतृत्व में, जनपद के सभी थाना क्षेत्रों के प्रत्येक गाँव एवं मजरों में सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा समितियों (ग्राम सुरक्षा समिति/मोहल्ला समिति) का गठन कराया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि इन समितियों द्वारा स्थानीय पुलिस की मदद करते हुए सभी प्रकार की अफवाहों को रोकने तथा गांव में होने वाली गतिविधियों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाई जायेगी। जिससे पुलिस को अपराध व अपराधियों पर समय रहते प्रभावी कार्यवाही करने में मदद मिलेगी तथा ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य स्थानीय पुलिस के संपर्क में रहकर गांवों में रात्रि में गश्त करेंगे। जिससे अफवाहों और आसामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगने के साथ - साथ जनता में शांति एवं सौहार्द का माहौल बना रहेगा।
इस क्रम में अभी तक 1. थाना कोतवाली नगर में 42, 2. थाना कोतवाली देहात में 164, 3. थाना खरगूपुर में 108, 4. थाना इटियाथोक में 34, 5. थाना धानेपुर में 86, 6. थाना मोतीगंज में 79, 7. थाना मनकापुर में 21, 8. थाना खोड़ारे में 44, 9. थाना छपिया में 31, 10. थाना तरबगंज में 65, 11. थाना नवाबगंज में 33, 12. थाना वजीरगंज में 87, 13. थाना उमरीबेगमगंज में 45, 14. थाना कर्नलगंज में 92, 15. थाना परसपुर में 72, 16. थाना कौड़िया में 65, 17. थाना कटरा बाजार में 60 सुरक्षा समितियां गठित की गई; इस प्रकार अभी तक सभी थाना क्षेत्रों के कुल 1731 गाँवों में 1128 सुरक्षा समितियों का गठन कराया जा चुका है।
**सुरक्षा समिति गठन करने का उद्देश्य-**
-चोरी की घटनाओं की रोकथाम।
-बिना अनुमति एवं रात्रि में ड्रोन उड़ाये जाने की घटनाओं की रोकथाम।
-अफवाहों पर नियंत्रण एवं समय पर निवारण।
-स्थानीय विवादों के समाधान में पुलिस-जनसहयोग।
-सामुदायिक सहभागिता से अपराध नियंत्रण एवं शांति व्यवस्था।
-आमजन एवं पुलिस के मध्य सम्पर्क बढ़ाकर मित्रवत् पुलिसिंग को बढाना।

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**प्रेस-नोट**
**दिनांक 19.09.2025, थाना को0 देहात**
**जनपद गोण्डा।**

**थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा आधा बोरा पटुआ लगा पटाखा समूचा व आधा बोरा पटुआ लगा पटाखा (अधजला) के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-**

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों व आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अवैध पटाखों के निर्माण/भंडारण के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त ऐश मोहम्मद पुत्र नैमुद्दीन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से आधा बोरा पटुआ लगा पटाखा (अधजला) व आधा बोरा पटुआ लगा पटाखा समूचा बरामद किया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**
दिनांक 18.09.2025 को थाना को0 देहात पुलिस एक प्रार्थना पत्र की जाँच कर रही थी, जिसमें उल्लेख था कि भदुआ तरहर डीहा में नजमा व उसके लड़के ऐश मोहम्मद अपने घर में पटाखा रखते हैं जो वह स्वयं बनाता है जिस कारण दिनांक 16.09.2025 को विस्फोट होने से उसके घर में दरार आ गई है । जांच करते हुए पुलिस टीम द्वारा आरोपी ऐश मोहम्मद पुत्र नैमुद्दीन को उसके घर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से आधा बोरा पटुआ लगा पटाखा (अधजला) व आधा बोरा पटुआ लगा पटाखा समूचा बरामद किया गया। पटाखों के बारे में पूछने पर बाताया कि वो मनिहारी का काम करता है, यह पटाखे शादी-विवाह में प्रयोग करने के लिए बहराइच से लाकर बेचता है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त**
01. ऐश मोहम्मद पुत्र नैमुद्दीन निवासी भदुआ तरहर डीहा थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**
01. मु0अ0सं0-441/25, धारा 5, 9बी विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**
01. आधा बोरा पटुआ लगा पटाखा (अधजला) व आधा बोरा पटुआ लगा पटाखा समूचा

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**
01. उ0नि0 राहुल मौर्य मय हमराह
02. हे0कां0 बृजभूषण
03. कां0 भरत चौहान

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**प्रेस नोट**
**दिनांक 19.09.2025, थाना कटरा बाजार**
**जनपद गोण्डा।**

## थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के 03 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

**कार्यवाही-**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्याँ के नेतृत्व में थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 208/25 धारा 85/80(2),103(1) बी0एन0एस0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त 1. रामू दूबे पुत्र ओमकार दूबे 2. अतुल दूबे पुत्र ओंमकार दूबे 3. श्यामू दूबे पुत्र ओमकार दूबे निवासीगण दूबे पुरवा मौजा अशोकपुर थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा को उनके गाँव दूबे पुरवा से पहले पुलिया तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 19.05.2025 को वादी नकछेद तिवारी पुत्र स्व० राजमनि तिवारी गांव लदई पट्टी मौजा रायपुर फकीर थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा द्वारा थाना कटरा बाजार में लिखित तहरीर दी कि उन्होने करीब 03 माह पूर्व अपनी बेटी प्रियंका की शादी ग्राम दूबे पुरवा मौजा अशोकपुर थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा निवासी श्यामू पुत्र ओमकार दुबे के साथ की थी, शादी के बाद से ही लड़की को उसके पति व ससुरालीजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए मार दिया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 208/25 धारा 85/80(2),103(1) बी0एन0एस0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए अभियुक्तों 1. रामू दूबे पुत्र ओमकार दूबे 2. अतुल दूबे पुत्र ओंमकार दूबे 3. श्यामू दूबे पुत्र ओमकार दूबे को आज दिनांक 19.09.2025 को उनके गाँव दूबे पुरवा से पहले पुलिया तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

01. रामू दूबे पुत्र ओमकार दूबे निवासी दूबे पुरवा मौजा अशोकपुर थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा
02. अतुल दूबे पुत्र ओमकार दूबे
03. श्यामू दूबे पुत्र ओमकार दूबे निवासीगण दूबे पुरवा मौजा अशोकपुर थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं० 208/25 धारा 85/80(2),103(1) बी0एन0एस0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा ।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. उ0नि0 नितिन उपाध्याय मय हमराह
02. का सोमपाल
03. का० चंद्रपाल
04. का० दिनेश सिंह

**मीडिया सेल, गोण्डा।**

**प्रेस नोट**
**दिनांक 19.09.2025**
**जनपद – गोण्डा**

- **थाना धानेपुर पुलिस की जाँच में झूठी निकली ड्रोन उड़ाने व बच्चे द्वारा ड्रोन मार गिराने की सूचना**

- **कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित विभाग को दें सूचना ।**

- **झूठी एवं फर्जी सूचना देने वाले व उनका सहयोग करने वालों पर होगी वैधानिक कार्यवाही**

**झूठी सूचना का विवरण-**

थाना धानेपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बोधिपूरवा मौजा उज्जैनीकला में ड्रोन उड़ाए जाने व बच्चों द्वारा उक्त ड्रोन को मार गिराने के सम्बन्ध में वायरल फोटो थाना धानेपुर पुलिस द्वारा मौके पर जा कर की गई तो जानकारी हुई कि उक्त ड्रोन एक खिलौना ड्रोन है जिसे गांव का ही एक बच्चा (जुनैद पुत्र फारुख उम्र करीब 14 वर्ष निवासी बोधिपुरवा मौजा उज्जैनीकला थाना धानेपुर जनपद गोण्डा) करीब 2 वर्ष से अपने पास रखा हुआ था जिसे उसने बराबफात के दिन अपने हाथ में ले कर फोटो खिंचवाया था, जिसको किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उक्त खिलौना ड्रोन रिमोट के साथ धानेपुर पुलिस द्वारा दिनांक 16.09.2025 को बरामद कर लिया गया था, आज दिनांक 19.09.2025 को उक्त ग्राम पंचायत के पूर्व ग्राम प्रधान के समक्ष उक्त बच्चे का बयान लिया गया जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि ड्रोन को उड़ाया नहीं गया था। किसी ने गलत सूचना वायरल कर दी है। नागरिकों से अपील है कि इस प्रकार की झूठी/भ्रामक सूचना न दें, अन्यथा विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

झूठी सूचना देना न केवल सामाजिक व्यवस्था को बाधित करता है, बल्कि इससे सार्वजनिक संसाधनों का अनावश्यक दुरुपयोग होता है एवं जनमानस में भय या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है । अतः सभी नागरिकों से आग्रह है कि कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित कार्यालय को सूचित करें । झूठी, भ्रामक अथवा निराधार शिकायत/सूचना देने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सजा छह माह से दो वर्ष तक का कारावास एवं पांच हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनो हो सकते हैं ।

**पुलिस विभाग जनसामान्य को आश्वस्त करता है कि शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृतसंकल्पित है । किसी भी असत्य सूचना को कतई प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।**

**मीडिया सेल, गोण्डा।**